

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई 2020—आषाढ़ 26, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 मई 2020

क्रमांक ई 1-02/2020/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री देवी दयाल सिंह, भा.प्र.से. (2000), सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास विभाग, सचिव, जनसंपर्क विभाग को स्थाई व्यवस्था होने तक उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आयुक्त/संचालक, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास तथा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य अन्त्यावसायी वित्त एवं विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 जून 2020

क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6).—चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31-10-2019 द्वारा जारी “छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019-24” में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

(एक) छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति की कंडिका-15 “औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु प्रावधान” के कंडिका 15.23 के पश्चात् कंडिका-15.24, 15.25 एवं 15.26 के रूप में निम्नानुसार जोड़ा जावे :—

15.24 “छत्तीसगढ़ राज्य में बायो एथेनॉल हेतु एमओयू हस्ताक्षरित कर 6 माह के अंदर इकाई के उत्पादन में आने पर विशेष Early Bird Incentive के रूप में उत्पादन दिनांक से एक वर्ष के उपरांत, निवेशित राशि का 1 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपये 2 करोड़ अनुदान दिया जा सकेगा. इस हेतु विस्तृत निर्देश पृथक से वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी किया जायेगा.

15.25 “छत्तीसगढ़ राज्य में बायो एथेनॉल हेतु एमओयू हस्ताक्षरित इकाई को औद्योगिक नीति 2019-24 में उल्लेखित तथा उक्त अतिरिक्त सुविधाओं को प्राप्त करने की अवधि में स्थापित क्षमता प्रति 100 किलोमीटर प्रतिदिन के सापेक्ष में राज्य के न्यूनतम 50 नवीन व्यक्तियों को रोजगार प्रदाय किया जाना आवश्यक होगा. यह पुष्टि इकाई द्वारा जमा किए गए ईपीएफ एवं ईएसआई सर्टिफिकेट के आधार पर की जावेगी.

15.26 “छत्तीसगढ़ राज्य में बायो एथेनॉल के उत्पादन हेतु औद्योगिक नीति 2019-24 की अवधि में एक स्थान पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एक ही धान आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र को इस नीति में उल्लेखित प्रोत्साहन की पात्रता होगी. इस हेतु संबंधित विभागों द्वारा सुसंगत कार्यवाही की जायेगी.”

(दो) छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति की परिशिष्ट-4 “औद्योगिक नीति 2019-24 अंतर्गत संपूर्ण राज्य हेतु संतृप्त श्रेणी के उद्योगों की सूची” के सरल क्रमांक-1 “एल्कोहल, डिस्टिलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस” को इस परिशिष्ट-4 से विलोपित किया जाता है.

ये संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 जून 2020

क्रमांक एफ 20-105/2017/11/6.—चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के बिन्दु क्रमांक 15.13 के अनुक्रम में Bespoke Policy के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में उपार्जित किये जा रहे धान में से राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता के उपरांत शेष बचे धान का उपयोग करने हेतु बायो-एथेनॉल उत्पाद इकाईयों की स्थापना किया जाना आवश्यक है,

अतएव राज्य सरकार, एतद्वारा, राज्य में बायो-एथेनॉल उत्पाद, इकाईयों की स्थापना हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज हेतु निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

(अ) औद्योगिक नीति 2019-24 के बिंदु क्रमांक 15.13 के अनुसार रु. 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले एथेनॉल उत्पादक इकाईयों को Bespoke Policy के तहत निम्नानुसार सुविधाओं हेतु छत्तीसगढ़ शासन के संबंधित विभागों द्वारा निर्देश जारी करने तथा प्रत्येक

संबंधित इकाई के साथ अनुबंध किया जावे जिससे निवेशकों को भविष्य में किसी निर्णय से विपरीत प्रभाव न हों :—

1. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा राज्य में बायो एथेनॉल हेतु एमओयू हस्ताक्षरित इकाई को भारत सरकार द्वारा अनुमति के अधीन मार्कफेड से धान की एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल दर) + प्रशासकीय व्यय तथा वास्तविक परिवहन की दर पर कच्चे माल धान की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी. भारत सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त न होने की स्थिति में एमओयू हस्ताक्षरित इकाई को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक धान की खरीदी उपरांत राज्य की मंडियों में पंजीकृत कृषकों/संस्थाओं से क्रय किया जाना अनिवार्य होगा.
2. राज्य में बायो एथेनॉल रिफायनरी हेतु एमओयू हस्ताक्षरित करने वाली कंपनी को इकाई की स्थापित क्षमता का प्रथमतः न्यूनतम 60 प्रतिशत भारत सरकार से अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में मार्कफेड से धान खाद्य विभाग द्वारा निर्धारित एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल दर+प्रशासकीय व्यय तथा वास्तविक परिवहन दर) दर पर खरीदना अनिवार्य होगा, जिसकी न्यूनतम मात्रा 100 किलोलीटर प्रतिदिन तक की उत्पादन क्षमता वाली एथेनॉल इकाई के अनुसार होगी. 100 किलोलीटर प्रतिदिन तक की उत्पादन क्षमता हेतु आवश्यक शेष 40 प्रतिशत क्षमता हेतु आवश्यक धान की खरीदी राज्य की मण्डियों में पंजीकृत कृषकों/संस्थाओं से अतिरिक्त धान क्रय किया जाना अनिवार्य होगा.
3. 100 किलोलीटर प्रतिदिन से अधिक क्षमता वाली एथेनॉल इकाईयों को प्रथमतः 60 प्रतिशत आवश्यक धान की मार्कफेड से अनिवार्य खरीदी उपरांत शेष क्षमता हेतु राज्य की मंडियों में पंजीकृत कृषकों/संस्थाओं से अतिरिक्त धान क्रय किया जाना अनिवार्य होगा.

इसकी पुष्टि हेतु कृषि विभाग/खाद्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र जारी करने हेतु व्यवस्था करेगा.

4. मार्कफेड से धान की न्यूनतम खरीद मात्रा हेतु आवश्यक धान की मात्रा का निर्धारण ऊर्जा विभाग/छत्तीसगढ़ बायो डीजल अथॉरिटी द्वारा किया जावेगा. ऊर्जा विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार “छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादित धान से प्राप्त चावल में Startch content की मात्रा लगभग 74% w/w पाई जाती है, जिससे बायो एथेनॉल का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है. उपरोक्त आकड़े के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रति 2.25 कि.ग्रा. धान संसाधित (Processed) करने पर 01 लीटर बायो-एथेनॉल उत्पादन होगा.

तदनुसार प्रत्येक 100 किलोलीटर (1,00,000 लीटर) प्रतिदिन बायो-एथेनॉल उत्पाद संयंत्र में प्रतिदिन अनुमानित 2,25,000 कि.ग्रा. धान की आवश्यकता होगी, जिसका 60 प्रतिशत हेतु प्रतिदिन आवश्यक धान की मात्रा $(100 \times 1000 \times 2.25 \times 60\%)$ 1,35,000 किलोग्राम आकलित होती है.”

परन्तु, भारत सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त न होने की स्थिति में एमओयू हस्ताक्षरित इकाई को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक धान की खरीदी राज्य की मंडियों में पंजीकृत कृषकों/संस्थाओं से क्रय किया जाना अनिवार्य होगा.

5. छत्तीसगढ़ शासन, आबकारी विभाग द्वारा राज्य में बायो एथेनॉल हेतु एमओयू हस्ताक्षरित इकाई को बायो-एथेनॉल उत्पादन के साथ-साथ उत्पादित बाय-प्रोडक्ट ई.एन.ए. (Extra Neutral Alcohol) के राज्य में उत्पादन एवं राज्य के बाहर विक्रय की अनुमति दी जायेगी. साथ ही इस संबंध में संबंधित इकाई के साथ सक्षम स्तर के अधिकारी के साथ अनुबंध की व्यवस्था की जायेगी.

साथ ही शर्त यह होगी कि “राज्य में बायो एथेनॉल के साथ-साथ उत्पादित बाय प्रोडक्ट ई.एन.ए. उत्पादन करने वाली इकाईयों के द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानों के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा देय अनुज्ञप्ति फीस, आबकारी शुल्क एवं अन्य फीस का संदाय करना होगा. उत्पादित बायो एथेनॉल को विप्रकृत (डिनेचर्ड) ऐसी रीति से किया जाना होगा जो आबकारी विभाग द्वारा इस निमित्त निहित किया जाये.”

उपरोक्त अधिसूचना के अंतर्गत हुए निर्णय के अनुसार समस्त संबंधित विभाग अपने विभाग में सभी सुसंगत कार्यवाही पूर्ण करेंगे.

यह अधिसूचना जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझी जायेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, प्रमुख सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 जून 2020

क्रमांक एफ 10-4/2010/16.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित “विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना” अंतर्गत पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार नवीन योजना बनाती है :—

- (क) **योजना का नाम :—** योजना का नाम “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना” होगा.
- (ख) **योजना का प्रावधान :—** योजना के अंतर्गत सहायता राशि का भुगतान एक मुश्त किया जावेगा.
- (ग) **योजनांतर्गत देय लाभ राशि :—** पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में अधोलिखित तालिकानुसार सहायता राशि देय होगी :—

स. क्र.	विवरण	अनुदान राशि
1.	मृत्यु पर	1 लाख रुपये
2.	स्थायी दिव्यांगता पर	50 हजार रुपये

- (घ) **योजना की पात्रता :—**
- 18 से 60 वर्ष की उम्र के निर्माण श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे.
 - निर्माण श्रमिक का हिताधिकारी के रूप में भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 के अंतर्गत पंजीयन होना चाहिए.
 - आत्महत्या या मादक द्रव्यों या पदार्थों के सेवन से हुई मृत्यु अथवा अपराध करने के उद्देश्य से कानून का उल्लंघन करके एक-दूसरे से हुई मार-पीट से हुई मृत्यु की स्थिति में अथवा बलवा से हुई मृत्यु की स्थिति में सहायता राशि प्रदान नहीं की जावेगी.
 - योजना के तहत केवल पंजीकृत श्रमिक के मृत्यु पर ही योजना का लाभ दिया जावेगा परिवार के सदस्य के मृत्यु होने पर नहीं.
 - मंडल द्वारा संचालित सिलिकोसिस से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुर्नवास सहायता योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राही इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, क्योंकि उनके लिए पृथक से योजना संचालित है.
- (च) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**
- योजना के तहत आवेदन केवल ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जावेंगे.
 - आवेदक किसी भी च्वाइस सेन्टर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है.
 - योजनांतर्गत आवेदन मृत्यु/स्थायी दिव्यांगता होने के 90 दिवस के भीतर ही स्वीकार किया जावेगा.

4. योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन करते समय पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी, आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक, नामिनी का आधार कार्ड एवं पूर्ण स्थायी पता के संबंध में प्रमाण पत्र, मोबाईल नंबर, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं स्थायी दिव्यांगता होने पर डॉक्टर द्वारा जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र इत्यादि मंडल द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 5. स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर हितग्राही द्वारा मूल दस्तावेज जांच/सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
- (छ.) **स्वीकृति का अधिकार :—** संबंधित जिले के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकृत किया जावेगा।
- (ज) **भुगतान की प्रक्रिया :—**
1. संबंधित श्रम कार्यालय द्वारा सहायता राशि हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी के नामित व्यक्ति को प्रदान की जावेगी।
 2. नामित व्यक्ति के नहीं रहने पर वैध उत्तराधिकारी को राशि प्रदान की जावेगी।
 3. वैध उत्तराधिकारी के संबंध में विवाद की स्थिति होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।
 4. हितग्राही के पंजीयन अभिलेख में यदि किसी उत्तराधिकारी का उल्लेख न हो तो हितग्राही के बैंक पासबुक में उल्लेखित नामिनी को योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा।
 5. आवेदन के स्वीकृति उपरांत योजना की राशि आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी के माध्यम से हितग्राही/नामिनी के खाते में स्थानांतरित की जावेगी।
- (झ) **योजना के अंतर्गत विसंगति का निराकरण :—** योजना के क्रियान्वयन में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो इस संबंध में सचिव, छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम होगा।
- (ट) **योजना का प्रभावशीलन :—** यह योजना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 जून 2020

क्रमांक एफ 4-107/2005/32.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11-07-2017 के द्वारा श्रीमती रेजीना टोप्पो, अपर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की हैसियत से छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 75(1), के अंतर्गत उक्त अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये थे। राज्य शासन एतद्वारा अब उक्त शक्तियां श्री भोसकर विलास संदिपान, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग को प्रत्यायोजित किये जाते हैं साथ ही छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 13 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी के अधिकार भी प्रत्यायोजित किये जाते हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. तिकी, उप सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कांकेर, दिनांक 1 जून 2020

क्रमांक/1911/वा./भू.अ./प्र.क्र./12/अ-82/2017-18.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-नरहरपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कन्हनपुरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.33 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
124	0.02
122/1	0.06
120/1	0.05
120/2	0.03
119	0.07
116	0.01
77/2	0.05
115/1	0.09
113	0.02
552	0.07
501	0.03
502	0.10
508	0.12
539	0.13
553	0.07
575	0.01
727	0.10
554	0.09

(1) (2)

556	0.15
557	0.01
571/1	0.12
571/2	0.08
725	0.03
573	0.09
626	0.05
625	0.04
624/1	0.18
650	0.08
649	0.02
651/1	0.25
724	0.11

योग 31 2.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दुधावा दायी तट नहर निर्माण के लघु नहर क्रमांक 11 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 1 जून 2020

क्रमांक/1912/वा./भू.अ./प्र.क्र./13/अ-82/2017-18.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-नरहरपुर
- (ग) नगर/ग्राम-देवरीबालाजी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.14 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
631/1	0.01

(1)	(2)	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
		(1)	(2)
631/2	0.11		
590	0.20		
592	0.11	378	0.27
1336	0.08	381	0.18
1309	0.04	382/2	0.31
606	0.04	388	0.13
614	0.04	412	0.16
607	0.03	1267	0.48
1334	0.04	1342	0.01
605	0.09	1271	0.10
615	0.04	1312	0.01
1306	0.01	1311	0.04
1337	0.04	1310	0.05
1335	0.04	1309	0.02
1305	0.04	1323	0.03
1307	0.04	1324	0.05
1310	0.02	1335	0.02
1311	0.03	1274	0.07
1323	0.07	1273	0.06
1314	0.02	1333	0.04
योग	21	1.14	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दुधावा दायी तट नहर निर्माण के लघु नहर क्रमांक 07 के निर्माण हेतु.			
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.			
कांकेर, दिनांक 1 जून 2020			
क्रमांक/1913/वा./भू.अ./प्र.क्र./16/अ-82/2017-18.—			
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—			
अनुसूची			
(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर			
(ख) तहसील-नरहरपुर			
(ग) नगर/ग्राम-कन्हनपुरी			
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.80 हेक्टेयर			
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दुधावा दायी तट नहर निर्माण के लघु नहर क्रमांक 10 के निर्माण हेतु.			
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.			
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,			
के. एल. चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दुधावा दायी तट नहर निर्माण के लघु नहर क्रमांक 10 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 मई 2020

क्रमांक/आब./स्था.(अराज.)/2020/2109.—छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा-2018 के आधार पर चयनित निम्नांकित उम्मीदवारों को आबकारी उप निरीक्षक (सेवा कार्यपालिक) के पद पर वेतनमान (5200-20200+ग्रेड वेतन 2800) मैट्रिक्स लेबल-7 में एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर उनके उपस्थित होने के दिनांक से 2 वर्ष की परीक्षा पर नियुक्त किया जाकर उन्हें उनके नाम के समक्ष दर्शाये जिले में आगामी आदेश पर्यन्त अस्थाई रूप से पदस्थ किया जाता है.

क्र. (1)	चयन सूची अनुक्रमांक (2)	उम्मीदवार का नाम (3)	पदस्थ नियुक्ति जिले का नाम (4)
1.	01	श्री अभिनव आनंद बंखशी	दुर्ग
2.	02	सुश्री जया मेहर	बिलासपुर
3.	03	श्री अभिनव कुमार रायजादा	बिलासपुर
4.	05	श्री योगेश सोनी	कबीरधाम
5.	06	श्री मनीष कुमार साहू	कबीरधाम
6.	07	सुश्री रागिनी नायक	कोरबा
7.	08	श्री गौरव दुबे	जांजगीर-चांपा
8.	09	सुश्री शिल्पा दुबे	कोरबा
9.	10	श्री दीपक सिंह ठाकुर	बिलासपुर
10.	11	श्री मुकेश कुमार पाण्डे	सूरजपुर
11.	13	श्री पुरुषोत्तम सिन्हा	दुर्ग
12.	14	श्री अंकित राठौर	कोण्डागांव
13.	15	श्री प्रदीप कुमार	बिलासपुर
14.	16	श्री वतन चौधरी	महासमुंद
15.	17	श्री मोराजध्वज साहू	नारायणपुर
16.	18	सुश्री गीता	राजनांदगांव
17.	20	श्रीमती सविता वर्मा	राजनांदगांव
18.	21	श्री दिनेश कुमार साहू	महासमुंद
19.	22	श्री तुलेश कुमार देशलहरे	कबीरधाम
20.	23	श्री विकास पाल सेण्डे	रायगढ़
21.	25	श्री विजयेन्द्र कुमार	गरियाबंद
22.	26	श्री धर्मेन्द्र कुमार शुक्ला	रायगढ़
23.	27	सुश्री नीलम गंधर्व	राजनांदगांव
24.	28	श्री तरुण कुमार बघेल	दण्तेवाड़ा
25.	29	श्री जितेन्द्र कुमार उइके	राजनांदगांव
26.	31	श्री भुनेश्वर सिंह मरकाम	सरगुजा
27.	32	श्री गोविन्द कुमार ध्रुव	कोरिया
28.	33	श्री निशान्त साधु	बलौदाबाजार-भाटापारा
29.	34	श्री कोमल प्रसाद	बिलासपुर
30.	36	सुश्री यामिनी पोते	बेमेतरा

(1)	(2)	(3)	(4)
31.	37	श्री यीववेश कुमार	राजनांदगांव
32.	38	सुश्री रानू मरकाम	जांजगीर चांपा
33.	39	सुश्री जीतेश्वरी आलेन्द्र	राजनांदगांव

उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन होगी.

- उपरोक्त अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की चयन सूची के अनुसार रहेगी.
- नियुक्त उम्मीदवार को आदेश प्राप्त होने की तारीख से 15 दिवस के भीतर आबकारी उप निरीक्षक के पद पर संबंधित नियुक्त किये गये जिले में उपस्थित होना अनिवार्य होगा अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा.
- नियुक्त उम्मीदवार को उनके उपस्थित होने पर स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी मेडिकल रिपोर्ट उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ संबंधित जिले के अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाणपत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा तथा कार्य की गई अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा. मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.
- संबंधित उम्मीदवार की सेवायें किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते की राशि का भुगतान कर सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं.
- चयनित उम्मीदवार को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने के लिये किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.
- संबंधित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन पत्र में चरित्र सत्यापन के संबंध में पुलिस विभाग से विपरीत टीका/प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, जो शासकीय सेवा में बाधक हो तो तत्काल सेवामुक्त करने की कार्यवाही की जायेगी.
- छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश परिपत्र क्रमांक एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3 दिनांक 31-3-2012 के कंडिका 3 (2) अनुसार उनकी नियुक्ति अनन्तिम है अभ्यर्थी के द्वारा उसकी जाति के प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर 02 माह के भीतर सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी और यदि उक्त नियम अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो अथवा छानबीन समिति के द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये पूर्वाग्रह के नियोक्ता द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी. तथा झूठा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही की जा सकेगी. जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन उपरांत की संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किया जावेगा.
- शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारीगण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 नियम 1962 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1965 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1966 शासित होंगे.
- उपरोक्त अभ्यर्थी को संबंधित जिला कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष मूल निवासी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाणपत्रों की मूलप्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाणपत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक् किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी.
- चयनित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा कि वापसी के लिये उत्तरदायी रहेगा.
- उपरोक्त परीवीक्षाधीन अधिकारी को जब छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जायेगा तब वे अपनी उपस्थिति जिले से प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

12. परिवीक्षा अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यतः सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार असफल होने पर अधिकारी को अकादमी में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिये जा सकेंगे.
13. परिवीक्षा अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएँ भी उत्तीर्ण करनी होंगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से 01 वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा इसके उपरान्त भी विहित विभागीय परीक्षाएँ उत्तीर्ण न करने पर सेवायें तत्काल समाप्त की जावेगी.
14. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

राकेश मंडावी,
अपर आयुक्त आबकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 19 जून 2020

क्रमांक 92/दो-2-6/2007.—श्री निर्मल मिंज, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दुर्ग दिनांक 29-02-2020 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिय गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में, प्रदान की जाती है.

आदेशानुसार,

दीपक कुमार तिवारी,
प्रभारी रजिस्ट्रार जनरल.